बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0 अमीन (फर्जी अभिलेख)–28/2021(खंड–1) 2817 पटना, दिनांक :– 11/10/2022

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या – 01/2019 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण संविदा पद पर निम्नांकित कर्मियों का नियोजन कॉलम – 2 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से करते हुए विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है :–

क्र0	पत्रांक दिनांक	आई0डी0	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन जिला	स्थायी पता/गृह जिला	ई–मेल	संस्थान का नाम	संस्थान का पत्रांक एवं दिनांक	संस्थान द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10412 05.08.2020	AEN00962	श्री प्रमोद कुमार	श्री बच्चा प्रसाद सिंह	बंदोबस्त कार्यालय मधेपुरा	VILL NATHANPURA POST BHARATPURA PS G B NAGAR SIWAN BIHAR	pramodkumar010281@gmail.com	परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, टेक्नोलोजी भवन, पटना	2245 06-07-2022	Not issued Certificate and Mark Sheet by Board (Fake)
2	10412 05.08.2020	AEN00960	श्री बसंत कुमार	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	बंदोबस्त कार्यालय मधेपुरा	VILLAGE- DAHAUR CHAK, P.O.- PATARIA, DIST.- JEHANABAD, P.S.- JEHANABAD	basant251192@gmail.com	परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, टेक्नोलोजी भवन, पटना	2245 06-07-2022	Not issued Certificate and Mark Sheet by Board (Fake)
3	10656 01.09.2020	AEN02400	श्री रमण कुमार	श्री धनराज यादव	बंदोबस्त कार्यालय, बेतिया	AT-HARIRAHA RUSTAMPUR PO-BELHI BHAWANIPUR PS-LAUKAHI DIST-MADHUBANI	raman1999.rr@gmail.com	परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, टेक्नोलोजी भवन, पटना	2247 06-07-2022	Duplicate Issued certificate and Mark Sheet Invalid

उपरोक्त संविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित **Diploma in Civi Engineering** का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित संस्थान को भेजा गया। संस्थान द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में उपरोक्त संविदा कर्मियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं की गयी एवं फर्जी बताया गया। प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त सभी संविदा कर्मियों से फर्जी "डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग" प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

संबंधित कर्मियों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के संदर्भ में कोई विशिष्ट तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो संबंधित संस्थान द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को खंडित करता हो। अतः उक्त संस्थान से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उपरोक्त कर्मी गलत/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः संबंधित संस्थान द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका – 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0 अमीन (फर्जी अभिलेख)–28/2021(खंड–1) 2817 **पटना, दिनांक** 11/10/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा/प0 चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि :–

1. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों से अब तक भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की जाय।
2. उपरोक्त मामले के साथ पूर्व में त्याग पत्र दिए गए एवं कार्य के आधार पर नियोजन मुक्त किए गए कर्मियों के मामले में भी फर्जी कागजातों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना